न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 171/2016 दायरा दिनांक : 06.09.2016

उनवान

1. मेंहरबान सिंह आत्मज सज्जनसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी दांता का खेडा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
2. रणजीतसिंह आत्मज सज्जनसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी दांता का खेडा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
3. श्रीमती धापू बाई पत्नी स्वर्गीय सज्जनसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी दांता का खेडा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
4. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री सज्जनसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी दांता का खेडा तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1. रईस आत्मज अहमद नूर जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
2. अलानूर आत्मज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
3. मांगी बाई पुत्री रहमान जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
4. मोहम्मद रसूल आम्मज रहमान जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
5. पीरू बक्ष आत्मज रहमान जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
6. सुभान आत्मज रहमान जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
7. इरफान आत्मज रफीक जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
8. श्रीमती रूकसाना पुत्री रफीक जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
9. श्रीमती शमी पुत्री रफीक जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
10. श्रीमती नाजनीन पुत्री रफीक जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
11. मंगू आत्मज इस्माईल जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
12. बेगम पत्नी इस्माईल जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
13. कनीज पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी शामगढ़ मध्यप्रदेश

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

14. बिसमिल्ला पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी बरखेड़ा तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
15. खातुन पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
16. जैतून पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी मेलखेडा
17. हाजरा पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी नई आबादी चचोर कुकडेश्वर जिला नीमच मध्यप्रदेश
18. बानो बी पुत्री इस्माईल जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
19. शहनाज पुत्री अहमद नूर जाति मुसलमान निवासी खारपाकलां तहसील पिडावा जिला झालावाड
20. गुलशन बेवा अहमद नुर जाति मुसलमान निवासी बोलिया तहसील गरोठ मध्यप्रदेश
21. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सत्यनारायण सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.11.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या –176/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 12 की 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 की 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 की 4 बीघा 15 बिस्वा कुल 3 किता की 18 बीघा 14 बिस्वा आराजी के मामले में अपीलान्ट का बाद खारिज करने में त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया कि वादीगण ने दावे में इन्तकाल की अपील के तथ्य छिपाये है। जबकि इस ओर ध्यान नही दिया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया है अपीलान्ट के हकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार वाद में ही होना है, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त कारण से खारिज नही

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे में तलबी व जवाब हेतु तारीख पेशी नियत थी, परन्तु इसी दौरान अपीलांट का प्रकरण राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत केम्प खोखरिया खुर्द में रखकर तलबी जवाब व साक्ष्य के बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी अंकित किया है कि अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। जबकि प्रकरण वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण में चल रहा था, ओर अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करता। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानो की पूर्ण रूप से अनदेखी की है। कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रकरण का निस्तारण केम्प खोखरिया खुर्द में कर दिया जो अवैधानिक है। विवादित आराजी के मामले में अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है ओर रेस्पोडेन्ट द्वारा अवधि मध्य अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में उस वक्त के कानून अनुसार अपीलान्ट वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तुं अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई गौर नही फरमाया।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अभिभाषक अपीलांट के तथ्यों का खंडन किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि वादीगण ने दावे में इंतकाल के तथ्य छुपाये है। नामांतरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकिया है। अपीलांट के हकों के निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार वाद में ही होना है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त कारण से खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे में तलवी व जवाब हेतु तारीख पेशी नियत थी परंतु इसी दौरान अपीलांट का प्रकरण राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत कैम्प खोखरिया खुर्द में रखकर तलवी जवाब एवं साक्ष्य के बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में वाद खारिज किया जो सिविल प्रकिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान की तलवी करते हुए नियमानुसार जवाब एवं साक्ष्य का अवसर देते हुए प्रकरण का विधिक रूप से निस्तारण करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–02–2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक **26.11.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा